

प्रेषक,

खान ज़ीशान मसूद,
न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय
सिरौली गौसपुर, बाराबंकी।

सेवा में,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय,
बाराबंकी।

विषय: माननीय महोदय के पत्र दिनांकित 07.09.2022 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।
महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि आपका स्पष्टीकरण आहूत किये जाने सम्बन्धी आदेश प्राप्त हुआ व उसका अवलोकन किया। मेरे द्वारा पत्र में दिये गये बिन्दुओं पर पेशकार श्री विपिन कुमार सिंह तथा वाद लिपिक श्री सुधीर वर्मा से आख्या आहूत की गयी, जो कि संलग्न है। माननीय महोदय की सेवा में बिन्दुवार स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है-

दिनांक- 03.09.2022 को अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में-

माननीय महोदय की सेवा में यह कहना है कि जैसा कि वाद लिपिक श्री सुधीर वर्मा द्वारा आपको अवगत कराया गया, सही है कि मैं दिनांक 03.09.2022 को अवकाश पर था जिसकी सूचना मेरे द्वारा 09 बजकर 50 मिनट पर पेशकार श्री विपिन कुमार सिंह को दी गयी। माननीय महोदय की सेवा में यह भी कहना है कि अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 02.09.2022 की शाम से 104° ताप का तेज बुखार रहा। अधोहस्ताक्षरी ने डॉक्टर से परामर्श किया तथा इन्जेक्शन व दवाई लेकर अपना इलाज कराया। बुखार के साथ कंपकंपी आदि समस्याओं से भी अधोहस्ताक्षरी पीड़ित रहा। तेज बुखार होने से अधोहस्ताक्षरी रात भर सो नहीं पाया। सुबह करीब 6 बजे मेरी आँख लगी तथा मेरी आँख 9.50 बजे खुली। उस समय भी मुझे तेज बुखार रहा अतः मैंने पेशकार को सूचित किया। बुखार होने के कारण तत्काल आवेदन नहीं कर सका और मैं दवा लेकर फिर सो गया। प्रार्थी की आँख 01 बजे खुली, उस समय प्रार्थी को बुखार नहीं था परन्तु घबराहट, कंपकंपी व सांस लेने में दिक्कत थी। प्रार्थी ने ई-पोर्टल पर अपना अवकाश तथा मुख्यालय छोड़ने का अनुमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। स्वीकृति की अपेक्षा में अधोहस्ताक्षरी ने लखनऊ के चन्दन अस्पताल में अपने आप को दिखाया जहाँ उन्हें इमरजेन्सी में भर्ती होने की सलाह दी गयी। प्रार्थी लगभग 02 बजे के बाद से चन्दन अस्पताल में भर्ती रहा जहाँ मेरा ई.सी.जी. किया गया तथा डॉक्टरों ने Acute Febrile Illness तथा स्वांस तन्त्र में संक्रमण बताकर कुछ दवाएं लिखीं। प्रार्थी तभी से लगातार डॉक्टरों से परामर्श करता रहा। सभी परामर्श के कागज संलग्न हैं। विदित हो कि प्रार्थी ने लगभग 01 बजे के आसपास अपना अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था। माननीय महोदय की सेवा में यह भी कहना है कि अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आपका आदेश दिनांक 05.08.2022 है और प्रार्थी उसका शब्दसः पालन करना अपना कर्तव्य समझता है। माननीय महोदय की सेवा में यह कहना है कि आदेश दिनांकित 05.08.2022 में अपरिहार्य परिस्थितियों की छूट दी गयी थी। जैसा कि आपको ससम्मान अवगत कराया गया कि प्रार्थी बहुत बीमार था और अपरिहार्य स्थिति के कारण आवेदन 01 बजे के आसपास कर पाया। माननीय महोदय से निवेदन है कि अपरिहार्य परिस्थिति को देखते हुए विलम्ब क्षमा करते हुए अधोहस्ताक्षरी का अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की महान कृपा करें।

दिनांक- 03.09.2022 को पेशकार, श्री विपिन कुमार सिंह के अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में-

श्री विपिन कुमार सिंह, पेशकार की आख्या के अनुसार दिनांक- 03.09.2022 को वह अपने माता पिता को अपरिहार्य स्थिति में डॉक्टरों को दिखाने गये थे जिस कारण वह उपस्थित नहीं आ पाये थे। उनकी आख्या के अनुसार उन्होंने इस बात की सूचना लगभग 10.20 बजे से कुछ पहले वाद लिपिक को दी थी। वाद लिपिक की आख्या के अनुसार पेशकार महोदय ने उनको अपने अवकाश की सूचना लगभग इसी समय के आसपास दी थी।

माननीय महोदय की सेवा में यह भी कहना है कि जब मेरे द्वारा पेशकार महोदय को अपने अवकाश पर रहने की सूचना दी तो उनके द्वारा स्वयं के भी अवकाश पर रहने की सूचना दी। मेरे द्वारा उन्हें वाद लिपिक को अवगत कराने का आदेश दिया गया था जिसका पालन उनके द्वारा किया गया। दिनांक- 05.09.2022 को उनके द्वारा अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि नियमानुसार स्वीकृत किया गया।

आकस्मिक निरीक्षण के दौरान दैनिक बैठक पंजिका न पाये जाने के सम्बन्ध में-

श्री विपिन कुमार सिंह, पेशकार द्वारा यह अवगत कराया गया कि डेली सिटिंग रजिस्टर दिनांक 01.09.2022 को आपके कार्यालय द्वारा काउण्टर साईन कराने हेतु आहूत किया गया था। उनकी आख्या के अनुसार उन्होंने उपस्थिति पंजिका दिनांक- 01.09.2022 की देर शाम को आपके कार्यालय में प्राप्त कराया था जो उनके द्वारा दिनांक- 02.09.2022 की देर शाम को वापस प्राप्त किया गया। क्योंकि दिनांक 03.09.2022 को वह अवकाश पर रहे और उन्हें यह सूचना प्राप्त हुई कि पीठासीन अधिकारी भी अवकाश पर है अतः दैनिक बैठक पंजिका दिनांक- 03.09.2022 को उनके पास ही रह गयी।

मेरे द्वारा उन्हें चेतावनी दी गयी है कि दैनिक उपस्थिति पंजिका समय से वापस लिया जाना सुनिश्चित करें तथा इस सम्बन्ध में भविष्य में सचेत रहें। किसी भी दशा में पंजिका अपने पास न रखें।

पीठासीन अधिकारी की डायरी के सम्बन्ध में

माननीय महोदय के आकस्मिक निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि न्यायालय में पी.ओ. डायरी लिखी जा रही है। इस सम्बन्ध में यह कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2020 में अपने सर्कुलर से पी.ओ. डायरी समाप्त कर दी गयी थी। उक्त सर्कुलर से CIS काजलिस्ट प्रयोग करने के सख्त निर्देश थे परन्तु सभी भौतिक पंजिकाएं समाप्त कर दी गयी थीं। उक्त सर्कुलर में यह निर्देश था कि जहां यह नहीं इस्तेमाल की जा सकतीं वहां सूचना माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित की जाये। परन्तु सर्कुलर अपने आप में स्पष्ट था कि भौतिक पंजिकाएं समाप्त कर दी गयी हैं। उस समय से ही सभी पीठासीन अधिकारी भौतिक पंजिकाएं प्रयोग में नहीं ला रहे थे। पेशकार महोदय ने इस सम्बन्ध में यह आख्या दी है कि वह अपनी सुविधा के लिए इसे प्रयोग करते हैं। आदेशानुसार उक्त डायरी मेरे द्वारा नहीं लिखी जा रही। विदित हो कि मेरे द्वारा अभी एक भी निरीक्षण नहीं किया गया है। यदि मेरे संज्ञान में होता कि यह डायरी लिखी जा रही है तो मेरे द्वारा उचित निर्देश दिये जाते। यदि माननीय महोदय का आदेश होगा तो मेरे द्वारा आदेश की तिथि से पी.ओ. डायरी स्वयं लिखी जायेगी।

पत्रावली महेश बनाम श्रीपाल के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण-

माननीय महोदय के आदेश के अनुपालन में पत्रावली मूलवाद संख्या 564/2011, महेश बनाम श्रीपाल का अवलोकन किया। पत्रावली में दिनांक 03.08.2022 का प्रिन्टेड आदेश किया गया है जो पत्रावली में कुछ पत्रे नीचे पाया गया। दिनांक 03.08.2022 के



उपरान्त दिनांक 06.09.2022 तिथि नियत थी। दिनांक 06.09.2022 को पत्रावली में निर्णय सुना दिया गया है। उक्त तिथियां न्यायालय की पंजिका में नियमानुसार दर्ज हैं। उक्त पत्रावली में दिनांक 27.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर न होने की बात सही है। इस सम्बन्ध में पेशकार द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि पत्रावली लेकर मैं आपके चैम्बर में आया था परन्तु आप दिनभर आदेश व निर्णय टाईप करने में व्यस्त रहे जिसके कारण मेरे द्वारा आदेश पर हस्ताक्षर नहीं कराया जा सका। यह कि त्रुटि जानबूझकर नहीं बल्कि आपके व्यस्त होने के कारण की गयी है।

पत्रावली राशिदा बानो आदि बनाम मो. इश्तियाक के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण-

उक्त पत्रावली में यह बात सही है कि दिनांक 16.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं परन्तु पत्रावली में दिनांक 06.08.2022 नियत पायी गयी। पत्रावली दिनांक 25.08.2022 को पुनः नियत की गयी। उक्त तिथि अधिवक्ता द्वारा नोट की गयी है। इसी तरह दिनांक 25.08.2022 को भी पत्रावली दिनांक 21.09.2022 को अन्तिम बहस के लिए नियत की गयी। उक्त आदेश पत्रिका साक्ष्य के पीछे लगी पायी गयी। विदित हो कि दिनांक 25.08.2022 को भी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21.09.2022 नोट की गयी है। पत्रावली अन्तिम बहस पर नियत है।

पत्रावली राम लुटावन बनाम राममूर्ति आदि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण-

उक्त पत्रावली में भी कुछ तिथियों पर मेरे हस्ताक्षर नहीं पाये गये हैं परन्तु आदेश पत्रिका में बांयी ओर कुछ पृष्ठांकन मेरे हस्तलेख में किये गये हैं जिन्हें हस्ताक्षरित भी किया गया है। दिनांक 24.08.2022 को पत्रावली में दिनांक 01.09.2022 तिथि नियत की गयी। दिनांक 01.09.2022 को निर्णय सुना दिया गया। निर्णय व आदेश पत्रिका लिखित बहस के पीछे पायी गयी।

आपके द्वारा उल्लिखित पत्रावलियों तथा कुछ अन्य पत्रावलियों में मेरे द्वारा यह देखा गया कि मेरे हस्ताक्षर प्राप्त नहीं कराये गये हैं। रीडर द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि आप निर्णय व आदेश टाईप करने में व्यस्त रहते हैं अतः हस्ताक्षर लिये जाने से छूट जाता है।

माननीय महोदय की सेवा में यह कहना है कि इस न्यायालय में कोई भी आशुलिपिक कार्यरत नहीं है। एक्शन प्लान तथा पुरानी पत्रावलियों, जमानत, निर्णय इत्यादि स्वयं टाईप करने होते हैं। अतः न्यायालय के कार्य के उपरान्त मैं अत्यधिक व्यस्त रहता हूँ, इसके बावजूद मेरे द्वारा रीडर को सख्त निर्देश दिये गये हैं कि वह भविष्य में हर हाल में मुझसे हस्ताक्षर प्राप्त कर लें और इसमें कोई शिथिलता स्वीकार नहीं की जायेगी।

समान रूप से वाद नियत न किये जाने के सम्बन्ध में-

माननीय महोदय की सेवा में यह कहना है कि जैसा कि आपको ज्ञात है कि ग्राम न्यायालय सिरौलीगौसपुर हाल ही में सृजित हुआ है। तहसील स्तर पर दीवानी वादों का काम हाल ही में शुरू हुआ है। यहां पर अन्यन्त प्राचीन वाद अन्तरित होकर आये हैं। उक्त वादों में अधिकतर बाराबंकी मुख्यालय के अधिवक्ता ही उपस्थित होते हैं। वादकारियों तथा उनके अधिवक्ताओं के द्वारा बुधवार और शुक्रवार की तिथि नियत किये जाने की याचना की जाती है क्योंकि मुख्यालय से अधिवक्ता उसी दिन यहां आते हैं। क्योंकि वादकारियों का हित सर्वोपरि होता है अतः अधिकतर याचनाएं स्वीकार कर अधिकतर दीवानी वाद बुधवार व शुक्रवार को अन्य तिथियों की अपेक्षा अधिक मात्रा में नियत किये जाते हैं। इसी तरह मुख्यालय से सहायक अभियोजन अधिकारी मंगलवार को उपस्थित आते हैं। यदि उक्त पत्रावलियां किसी और दिन नियत की जाती हैं तो उक्त पत्रावलियों में या तो मौका या हाजिरी माफी पेश की जाती है। विपरीत आदेश पारित करने पर वादकारियों का अहित होने की सम्भावना होती है। सभी परिस्थितियों को देखते हुए तिथियां ऐसी नियत की जाती हैं कि अधिक से अधिक कार्यवाही व न्याय हो सके। जिन



पत्रावलियों में अधिवक्ता सिरौलीगौसपुर, ग्राम न्यायालय के हैं वह अन्य तिथियों में नियत की जाती हैं। अतः नियत वादों में एकसमानता नहीं बनायी जा सकी है। यदि माननीय महोदय का आदेश होगा तो भविष्य में पत्रावलियों में एक समान तिथियां नियत की जायेंगी।

पत्रावलियां चैम्बर में पाये जाने के सम्बन्ध में-

पेशकार महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण दिया गया कि उक्त तीनों पत्रावलियां निर्णय व अन्तिम बहस हेतु नियत थीं अतः आपके कहने पर आपके चैम्बर में रखी थीं। माननीय महोदय की सेवा में यह कहना है कि आपके आदेशानुसार मेरे द्वारा अधिक से अधिक निर्णय व आदेश पारित किये जा रहे हैं। जो पत्रावलियां अन्तिम बहस या निर्णय पर लम्बित होती हैं उनके सम्पूर्ण अवलोकन कर निर्णय किये जा रहे हैं। अतः कुछ पत्रावलियां मेरे चैम्बर में ही रहती हैं।

माननीय महोदय की सेवा में यह कहना है कि आपके आदेशानुसार पूरी श्रद्धा से कार्य किया जा रहा है। आपके निरीक्षण में जो कमियां पायी गयीं उस सम्बन्ध में मेरे द्वारा कड़े निर्देश पारित किये जा चुके हैं। आपके आदेशों का अक्षरशः पालन होगा। कार्य अधिकता के कारण तथा आशुलिपिक न होने के कारण कुछ कमियां आपके द्वारा पायी गयी है जिन्हें भविष्य में दोहराया नहीं जायेगा। त्रुटि जानबूझकर नहीं की गयी है। आपसे क्षमा याचना है।

माननीय महोदय की सेवा में यह भी कहना है कि आपका उक्त आदेश दिनांक 07.09.2022 को प्राप्त कराया गया था। यह स्पष्टीकरण उसके सम्बन्ध में दिया जा रहा है। आपके आकस्मिक निरीक्षण की एक अलग प्रति जिसमें कुछ नये तथ्य जोड़े गये हैं, वह दिनांक 09.09.2022 को पुनः प्राप्त करायी गयी। दिनांक 09.09.2022 को प्राप्त कराये गये आदेश के सम्बन्ध में कुछ तात्त्विक स्पष्टीकरण माननीय महोदय की सेवा में प्रेषित करने हैं जिसके लिए दिनांक 16.09.2022 तक का समय देने की कृपा करें। नया आदेश / निरीक्षण आख्या दिनांक 09.09.2022 को देर शाम पेशकार द्वारा प्राप्त किया गया है अतः समय देने की कृपा करें।

इसी निवेदन के साथ माननीय महोदय से विनम्र याचना है कि अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की कृपा करें तथा स्पष्टीकरण स्वीकार कर क्षमा करने की कृपा करें। कोई त्रुटि जानबूझकर नहीं की गयी है। मैं आपको आश्चस्त करता हूँ कि भविष्य में और अधिक सावधानी से कार्य किया जायेगा। नये तथ्यों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु समय देने की कृपा करें।

Sir Kud

13/09/2022 2:05:28 PM

आपकी महान कृपा होगी।

सादर।

भवदीय



13.09.22

दिनांक- 12/09/2022

खान ज़ीशान मसूद

न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय
सिरौली गौसपुर, बाराबंकी

संलग्नक-

1. डॉक्टर के परामर्श दस्तावेज
2. रीडर श्री विपिन कुमार सिंह की आख्या व स्पष्टीकरण
3. वाद लिपिक श्री सुधीर वर्मा की आख्या

सेवा में,

श्रीमान न्यायाधिकारी महोदय,
ग्राम न्यायालय, सिरौलीगौसपुर,
बाराबंकी।

विषय: माननीय महोदय के द्वारा आहूत स्पष्टीकरण।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि दिनांक 03.09.2022 को मेरे द्वारा आपको सुबह सूचित किया गया कि मैं अवकाश पर रहूँगा। आपने अपनी तबीयत खराब होने तथा अवकाश पर रहने की जानकारी दी। मेरे द्वारा लगभग 10.15 बजे हम दोनों के अवकाश पर रहने की जानकारी वाद लिपिक श्री सुधीर वर्मा को दी गयी। क्योंकि अवकाश अपरिहार्य स्थिति में लिया गया अतः पहले से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। मेरे द्वारा आपको यह सूचित किया गया था कि मुझे अपने माता पिता को प्राथमिक परामर्श के लिए ले जाना है। आपने मेरा अवकाश प्रार्थना पत्र दिनांक 05.09.2022 को स्वीकार किया है।

माननीय महोदय की सेवा में यह कहना है कि उपस्थिति पंजिका मेरे द्वारा जनपद न्यायाधीश महोदय के कार्यालय में 01 तारीख की शाम को प्राप्त कराई गई तथा दिनांक 02.09.2022 को शाम को पुनः वापस प्राप्त की गयी। क्योंकि दिनांक 03.09.2022 को मैं अवकाश पर रहा तथा आप भी अवकाश पर रहे अतः मेरे द्वारा दैनिक उपस्थिति पंजिका न्यायालय को पुनः प्रेषित नहीं की जा सकी और वह मेरे पास ही रही।

माननीय महोदय न्यायालय कार्य उपरान्त आप निरन्तर आदेश टाईप करने में व्यस्त रहते हैं अतः कुछ पत्रावलियां मेरे द्वारा हस्ताक्षर नहीं कराई जा सकी हैं। गलती जानबूझकर नहीं की गयी है। मैं आश्चस्त करता हूँ कि भविष्य में सचेत रहूँगा।


माननीय महोदय, जो पत्रावलियां आपके चैम्बर में रखी गयी थीं वह निर्णय व अन्तिम बहस की पत्रावलियां थीं जिन्हें आपके आदेश पर ही मेरे द्वारा आपके चैम्बर में रखा गया था। कुछ पत्रावलियों में आदेश पत्रिका लिखकर पत्रावली पर रखी गयी थी परन्तु सही जगह पर सिल नहीं पायी थी। परन्तु कोई भी पत्रावली बिना तिथि के नहीं छोड़ी जाती है। उक्त तीनों पत्रावलियों में नियमानुसार अग्रिम तिथि नियत है तथा मेरी पंजिका में दर्ज है।

माननीय महोदय, पी.ओ. डायरी अपनी सुविधानुसार लिखी जा रही है। चूंकि यह अतिरिक्त पंजिका है अतः कार्य अधिकता के कारण कभी नहीं लिखी जाती और कुछ पत्रे खाली हो सकते हैं। न्यायालय का पूरा कार्य मैं अपनी डायरी से सम्पन्न करता हूँ जो कि मेरे द्वारा तत्परता से आपके आदेशानुसार भरी जाती है।

माननीय महोदय, कोई भी त्रुटि जानबूझकर नहीं की गयी है। कृपया त्रुटियों को क्षमा करें तथा मुझे उन्मोचित करने की कृपा करें। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि भविष्य में सावधानी से कार्य करूँगा।

दिनांक- 12/09/2022

भवदीय


विपिन कुमार सिंह

रीडर, ग्राम न्यायालय

सिरौली गौसपुर, बाराबंकी

सेवा में,

श्रीमान न्यायाधिकारी महोदय,
ग्राम न्यायालय, सिरौलीगौसपुर,
बाराबंकी।

विषय: माननीय महोदय के द्वारा आहूत स्पष्टीकरण।
महोदय,


ससम्मान यह कहना है कि दिनांक 03.09.2022 को लगभग 02 बजे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय आकस्मिक निरीक्षण पर आये। मेरे द्वारा उनको सूचित किया गया कि आप अवकाश पर हैं और दैनिक बैठक पंजिका पेशकार महोदय के पास है।

पेशकार महोदय ने लगभग 10.30 बजे मुझे यह सूचना दी थी कि आप और वह अवकाश पर रहेंगे।

माननीय महोदय, पेशकार साहब द्वारा जो पत्रावलियां मुझे वापस प्रेषित की जाती हैं वह मैं प्राप्त करता हूँ। कुछ पत्रावलियों के विषय में उनके द्वारा कहा जाता है कि पत्रावली अन्तिम बहस व निर्णय पर है अतः आपके द्वारा अवलोकन के लिए रख ली गयी है।

दिनांक- 12/09/2022

भवदीय



सुधीर वर्मा

वाद लिपिक/ फौजदारी लिपिक, ग्राम
न्यायालय, सिरौली गौसपुर, बाराबंकी